न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), आजमगढ़ ।

स्पेशल केस सं० ३४८/२०१९

स्टेट बनाम कमला यादव आदि

मु०अ०सं० ४९/२०१९

धारा– १३५ विद्युत अधिनियम

थाना–कोतवाली, जिला आजमगढ़ ।

दिनांक १४.१२.२०१९ई०

पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिशासी अभियंता के पत्रांक को संदभर्ति करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा समन शुल्क सहित सम्पूर्ण देय जमा कर दिया है। मुकदमें का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः मुकदमा निस्तारित करने की कृपा करें। मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि मु०अ०सं० ४९/२०१९ धारा–१३५ बिद्युत अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ में थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ की पुलिस द्वारा अभियुक्त शोभनाथ अग्रवाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा द्वारा अधिशाषी अभियंता द्वारा निर्गत पत्रांक १०७५ दिनांक २७.०४.२०१९ को संदर्भित करते हुए यह कथन किया गया है कि मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें। अधि०अभि० आजमगढ़ की आख्या के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में बकाया धनराशि के विरूद्ध निर्धारण शुल्क रूपया ४१०१२/– रू० एवं शमन शुल्क रू० ४०,०००/– रसीद संख्या ४७/८५३३१६ दिनांक २६.०४.२०१९ को जमा किया गया है। वाद सं० ३४८/२०१९ शोभनाथ अग्रवाल के बावत नियमानुसार वापस/ समाप्त करने की कृपा करें। बिद्युत अधिनियम की धारा–१५२(२) उपधारा (१) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी। इसी अधिनियम की धारा (३) उपधारा (१) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना दण्ड प्रकिया संहिता १९७३(१९७४ का २)की धारा– ३०० के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जायेगी। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि ग्रहण किया जा चुका है जिसके बावत अधिशाषी अभियंता के पत्रांक १०७५ दिनांक २७.०४.२०१९ के अनुसार अभियुक्त शोभनाथ अग्रवाल ने बकाया विद्युत बिल निर्धारण शुल्क ४१०१२/–रूपया व शमन शुल्क ४०,०००/–रूपया का भुगतान कर दिया है। अपराध शमनीय है। अतः अभियुक्त शोभनाथ अग्रवाल दोष मुक्त किये जाने योग्य है। शेष अभियुक्तगण के बावत मुकदमा चलेगा।

आदेश

अभियुक्त शोभनाथ अग्रवाल को धारा– १३५ बिद्युत अधिनियम के आरोप में दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्त के बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण कमला यादव व जितेन्द्र यादव के बावत नियत तिथि को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(ई०सी०एक्ट), आजमगढ़ ।